राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

rajssashaladarshan@gmail.com

फोन–0141–2711964

क्रमांक : समसा/जय/शाला दर्शन/2018–19/347

दिनांक : 14/09/2018

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि./मा.शि.
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
एसएसए/रमसा
समस्त जिले।

अति–आवश्यक

विषय – शालादर्शन पोर्टल पर 6–डी चयन पश्चात माध्यमिक शिक्षा मे पदस्थापित कार्मिकों की मैपिंग के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सीधी भर्ती तृतीय श्रेणी लेवल–2 2018 के नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु काउंसलिंग कैंप (परामर्श शिविर) कलैंडर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 04.09.2018 को जारी किया गया था। जिसकी अनुपालना में नवचयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कैम्पों (परामर्श शिविर) द्वारा पदस्थापन किया जाना है। साथ ही–

1. कार्यालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के निर्देशों की अनुपालना में 6 डी चयन पश्चात कार्मिकों को माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापन के लिए काउंसलिंग पश्चात जारी पदस्थापन आदेशों की शाला दर्शन पोर्टल पर "**प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापित**" मॉडयूल माध्यमिक शिक्षा द्वारा पदस्थापन आदेश जारी होने के दिन ही कार्यालय छोडने से पूर्व करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

2. बिन्दु संख्या 1 में वर्णित आदेश की अनुपालना में 6 डी चयन पश्चात प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित की जानी वाली सूची शाला दर्शन पोर्टल पर 6 डी मैपिंग शत प्रतिशत पूर्ण होने के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वारा विषयवार मांग की गई अभ्यर्थियों की संख्या अनुसार वरियता क्रम से शाला दर्शन पोर्टल पर उपलब्ध "**6 डी मैपिंग रिर्पोट**" से ही विषयवार जनरेट की जानी है।

3. स्थानान्तरित कार्मिकों/पदोन्नत कार्मिकों/विभिन्न काउन्सलिंगों द्वारा पदस्थापित/समायोजित कार्मिको की शाला दर्शन पोर्टल पर शेष कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण तुरन्त प्रभाव से करवाये जाने की सुनिश्चितता करावें।

4. काउन्सलिंग में किसी भी प्रकार के दोहरे पदस्थापन के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को उत्तरदायित्व निधारिंत किया जायेगा।

5. विभिन्न सीधी भर्ती की काउन्सलिंगों से पदस्थापित कार्मिक, जिनके पदस्थापन आदेश जारी होने के उपरान्त जिला लॉगिन से पदस्थापन आदेशों में वर्णित कार्यग्रहण की अंतिम तिथि प्रविष्ट कर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान कर दी गई है तथां कार्यग्रहण की अंतिम तिथि तक कार्मिक ने कार्यग्रहण नहीं किया है तो उनको आवंटित रिक्तयों की मैपिंग शाला दर्शन पोर्टल से हटा दी गयी है एवं उक्त रिक्तियां रिक्त मानते हुए आगे की सीधी भर्ती की काउंसलिंग में नियमानुसार शामिल हो सकती है। यदि ऐसे किसी कार्मिक (कार्यग्रहण की अंतिम तिथि तक कार्मिक ने कार्यग्रहण नहीं किया है) ने कार्यग्रहण की अंतिम तिथि में अभिवृद्वि ले रखी है तो उनकी सूचना प्रमाण पत्र के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा काउंसलिंग के लिए रिक्तियों के निर्धारण में संबंधित रिक्ति का चयन नहीं किया जाना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

6. तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2018 (लेवल–2 एवं विशेष शिक्षक लेवल–2) के नवचयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरान्त कांउसलिंग के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला परिषद से प्राप्त कर नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु काउंसलिंग कैंप (परामर्श शिविर) कलैंडर में निधारित तिथि पूर्व कांउसलिंग मॉडयूल से रिक्तियाँ जनरेट किया जाना है। विभागीय दिशा–निर्देशानुसार शाला दर्शन पोर्टल पर कांउसलिंग मॉडयूल से रिक्तियाँ जनरेट करने से पूर्व निम्न प्रारूप में 6 डी का प्रमाण पत्र तृतीय श्रेणी लेवत द्वितीय विषयवार भिजवाया जाना आवश्यक है। प्रमाण पत्र नही भिजवाने की स्थिति में पोर्टल से रिक्तियाँ जनरेट नही हो सकेगी।

काउंसलिंग के लिए रिक्तियां निर्धारण की अनुमति के लिए प्रमाण पत्र विषय–..............

मैं .... जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, जिला ....प्रमाणित करता हूँ कि–

1. 6–डी चयन पश्चात् प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापित सभी कार्मिकों की शाला दर्शन पोर्टल पर "**प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापित कार्मिकों की मैपिंग**" मॉड्यूल में मैपिंग कर दी गई है।
2. सीधी भर्ती तृतीय श्रेणी अध्यापक/विशेष शिक्षक के नवचयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरान्त कांउसलिंग के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला परिषद से प्राप्त की जा चुकी है।
3. स्थानान्तरित तथा पदोन्नत सभी कार्मिकों की शाला दर्शन पोर्टल से स्थानान्तरण/पदोन्नति आदेशों में वर्णित नवीन पदस्थापन के लिए कार्यमुक्ति करवाई जा चुकी है। तथा कार्यमुक्त नहीं किए गये कार्मिकों से संबंधित पीईईओ/बीईईओ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को भिजवाया जा चुका है तथा स्थानान्तरण आदेशों में वर्णित नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण कर चुके सभी कार्मिकों को शाला दर्शन पोर्टल पर कार्यग्रहण करवाया जा चुका है।
4. काउन्सलिंग मॉडयूल में पूर्व की सभी काउन्सलिंगों के सभी चरणों को पूरा किया जा चुका है।
5. सीधी भर्ती तृतीय श्रेणी अध्यापक/विशेष शिक्षक की काउंसलिंग के लिए रिक्तियों के निर्धारण में किसी भी प्रकार के दोहरा पदस्थापन नहीं होने दिया जाएगा। दोहरा पदस्थापन होने पर होने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

हस्ताक्षर मय सील
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जिला ....

उक्तानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

www.rajteachers.com

(आभा बेनीवाल)
उपायुक्त III

क्रमांकः–समसा/जय/शाला दर्शन/2018–19/347 दिनांक : 14/09/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
8. निजी सहायक, अति. आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
9. निदेशक, प्रा. शि, निदेशालय, बीकानेर।
10. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

उपायुक्त III